

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,

पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर (कपकोट) ।

☎ / फैक्स नं0 05963-220127

ई-मेल:- eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांक:- 441 वनभूमि / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2018-19,

दिनांक:- 29-07-2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरानगर, फ़ौरैस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय-

जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या
FP/UK/ROAD/28915/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 57 से
बड़ी पन्याली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

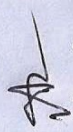
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन
विभाग, इन्दिरानगर, फ़ौरैस्ट कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) का पत्रांक
3317 / FP/UK/ROAD/28915/2017 दिनांक 10.06.2019

महोदय,

उपरोक्त पत्र का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें आपके कार्यालय से कुछ बिन्दुओं पर
(पत्र संलग्न) स्पष्ट सूचना चाही गयी थी, के क्रम में सम्बन्धित सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Sn	Query	Query Removed
1	In reply to point No.1, in Site Inpection Report ,DFO has mentioned that the area has been inspected on 01.12.2017 and found suitable for CA. However, nothing has been mentioned about habitation and agricultural land as seen in DSS report.	DSS Report को संशोधित कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में पाया गया है कि लाभान्वित ग्राम बड़ी पन्याली पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित है। अतः प्रस्तावित मार्ग का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।	मुख्य मार्ग एवं लाभान्वित ग्राम बड़ी पन्याली के मध्य पैदल मार्ग की दूरी 1.50 कि0मी0 से अधिक है। अतः प्रस्तावित मोटर मार्ग की उपयुक्तता जनहित में उचित है।


 अधिशासी अभियन्ता,
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 पी0आई0यू0-2, पी0एम0जी0एस0वाई0,
 कपकोट